

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग/मुख्य अभियंता (यॉ०)
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 49S27010300106 अन्तर्गत 30 कार्यालयों को विभिन्न मदों में
कुल रु 95.86 लाख (पंचानबे लाख छियासी हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये
गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता
है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संचाल परगना सिंचाई परियोजना	95.860

कुल आवंटित राशि -

रुपये पंचानबे लाख छियासी हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि ₹ 8639.32 लाख (छियासी करोड़ उन्चालीस लाख बत्तीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि०16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

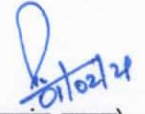
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव(अभि०)

9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबद्धित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 210

रॉची, दिनांक :- 01/02/2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरी-ग्रीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 210

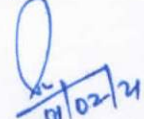
रॉची, दिनांक :- 01/02/2021

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव(अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-खेतानामापुर एवं संस्थाल परामा सिंचाई परियोजना

पत्रांक 210 दिनांक 01/02/2021 का अनुलानक

परिशिष्ट 1

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2020-2021	कार्यालय का नाम	वित्तिय शीर्ष-01-वैतन एवं मर्त										वित्तिय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										शशि लाख रुपये में	
			वैतन	पूर्व का वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	वैतन	कुल योग	अभिप्रेत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	109.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.800	0.900	0.000	0.300	0.100	0.000	0.000	0.700	0.000	111.800							
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	0.300	0.000	0.625							
3	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अवतन आवंटन	109.000	0.000	0.000	0.000	0.800	1.200	0.000	0.000	0.300	0.100	0.025	0.000	1.000	0.000	112.425							
4	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	60.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.100	0.000	0.000	0.500	0.400	0.000	1.400	1.500	0.000	65.900							
5	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.300	0.100	0.000	0.550	0.300	0.000	1.750							
6	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अवतन आवंटन	60.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.500	0.000	0.000	0.800	0.500	0.100	1.950	1.800	0.000	67.650							
7	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	106.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.750	0.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	1.000	0.000	108.450							
8	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	0.075	0.000	0.300	0.000	0.575							
9	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अवतन आवंटन	106.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.850	0.000	0.000	0.250	0.350	0.075	0.000	1.300	0.000	109.025							
10	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	91.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.000	0.250	0.050	0.150	0.000	0.800	0.000	93.150							
11	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.150							
12	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अवतन आवंटन	91.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.000	0.250	0.050	0.150	0.000	0.800	0.000	93.150							
13	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	75.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.750	0.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	1.000	0.000	77.450							
14	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.125							
15	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अवतन आवंटन	75.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.750	0.000	0.000	0.250	0.250	0.125	0.000	1.000	0.000	77.575							
16	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	110.000	0.000	0.000	0.000	1.200	0.700	0.000	0.000	0.250	0.200	0.000	0.050	0.800	0.100	113.300							
17	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.250							
18	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अवतन आवंटन	110.000	0.000	0.000	0.000	1.200	0.700	0.000	0.000	0.250	0.200	0.000	0.050	0.800	0.100	113.550							
19	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	201.000	0.000	0.000	0.000	0.700	0.650	0.000	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.900	0.400	203.900							
20	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.300							
21	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अवतन आवंटन	201.000	0.000	0.000	0.000	0.700	0.650	0.000	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.900	0.400	204.200							
22	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	190.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.800	0.000	191.750							
23	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.610							
24	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अवतन आवंटन	190.000	0.000	0.000	0.000	0.510	0.500	0.000	0.000	0.250	0.000	0.300	0.000	0.800	0.000	192.360							
25	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	185.500	0.000	0.000	0.000	0.500	0.500	0.000	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.900	0.150	186.900							
26	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200							
27	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेरिनीनगर	अवतन आवंटन	185.500	0.000	0.000	0.000	0.500	0.500	0.000	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.900	0.150	187.100							

(सजोय प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2020-2021	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा खर्च				विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक खर्च							विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ अन्य खर्च		विरुद्ध शीर्ष-07-विशिष्ट प्रसार		राशि लाख रुपये में	
		वेतन	पूर्व का वेतन	वेतन	वेतन	यात्रा खर्च	यात्रा खर्च	यात्रा खर्च	यात्रा खर्च	विशेषा, दूर, कार	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	घटी	विशेषा खर्च	मोटरगाड़ियाँ अन्य खर्च	विशिष्ट प्रसार	कुल योग	अधिशुद्धि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
कचन नदी प्रमंडल	पूर्व का आवंटन	132.000	0.000	0.200	0.300	0.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.300	0.600	0.150	134.050					
नगर उंटारी गढ़वा	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.225	0.000	0.000	0.000	0.225					
	अवशेष आवंटन	132.000	0.000	0.200	0.300	0.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.225	0.300	0.600	0.150	134.275					
कोनार नगर प्रमंडल, कुमरी	पूर्व का आवंटन	182.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.500	183.000					
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.525	0.000	0.000	0.000	0.525					
	अवशेष आवंटन	182.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.525	0.000	0.000	0.500	183.525					
कोनार नगर प्रमंडल, बगोदर	पूर्व का आवंटन	158.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.300	0.000	158.750					
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.000	0.000	0.450					
	अवशेष आवंटन	158.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.300	0.000	159.200					
कोनार नगर प्रमंडल, बगोदर	पूर्व का आवंटन	140.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	140.500					
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000	0.000	0.350					
	अवशेष आवंटन	140.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.350	0.000	0.000	0.000	140.850					
गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	100.000	0.000	0.100	0.300	0.650	0.000	0.000	0.250	0.250	0.100	0.100	0.000	0.250	0.300	0.200	102.150					
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.250					
	अवशेष आवंटन	100.000	0.000	0.100	0.300	0.650	0.000	0.000	0.250	0.250	0.100	0.100	0.250	0.250	0.300	0.200	102.400					
गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	85.000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1.500	0.000	87.350					
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.700					
	अवशेष आवंटन	85.000	0.000	0.000	0.400	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	2.000	0.000	88.050					
जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	210.000	0.000	0.000	1.200	0.650	0.000	0.000	0.200	0.150	0.150	0.000	0.000	1.000	0.900	0.050	214.150					
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	0.600					
	अवशेष आवंटन	210.000	0.000	0.000	1.200	0.650	0.000	0.000	0.200	0.150	0.150	0.000	0.600	1.000	0.900	0.050	214.750					
जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	406.470	0.000	0.000	1.500	1.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	2.300	0.000	1.100	412.670					
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.675	0.000	0.000	0.000	0.675					
	अवशेष आवंटन	406.470	0.000	0.000	1.500	1.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.675	2.300	0.000	1.100	413.345					
जलपथ प्रमंडल, बरही	पूर्व का आवंटन	294.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	294.450					
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	0.600					
	अवशेष आवंटन	294.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	295.050					
जलपथ प्रमंडल, मेरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	349.300	0.000	0.000	1.150	0.650	0.000	0.000	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	2.300	0.900	0.500	354.900					
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000					
	अवशेष आवंटन	349.300	0.000	0.000	1.150	0.650	0.000	0.000	0.100	0.000	0.100	0.000	1.000	2.300	0.900	0.500	355.900					

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

(प्रश्नांत कुभार)
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2020-2021	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भारें			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां अन्य व्यय		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रूपये में
		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनदि	एसोर्टीसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्माति	विधि प्रसार						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
30	सिवाइ यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, (लातेहार) विहिर मेदिनीनगर																		
	पूर्व का आवंटन	187.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.650	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.700	0.000	188.800				
	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500				
	कुल आवंटन	187.000	0.000	0.000	0.200	0.650	0.000	0.000	0.200	0.050	0.500	0.000	0.700	0.000	189.300				
	अतिरिक्त आवंटन का योग	78.600	0.000	0.000	0.810	1.350	0.000	0.000	0.500	0.400	11.450	0.650	1.400	0.700	95.860				

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधिव-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये पंचानबे लाख छियासी हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव